राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

63वीं बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2017 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या - 1 : 62वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	
एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची	क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना
	ख) वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग
	ग) आरसेटी
एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण	क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18
	ख) ऋण-जमा अनुपात - बैंकवार एवं जिलावार
एजेण्डा संख्या - 4 : वित्तीय समावेशन	क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट
	ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
	ग) बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग
	घ) सामाजिक बीमा योजनाएं
	ङ) वित्तीय साक्षरता
एजेण्डा संख्या - 5 : ग्राम्य विकास योजनाएं	क) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
	ख) फसल बीमा योजना
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
	घ) डेयरी उद्यमिता विकास योजना
एजेण्डा संख्या - 6: समाज कल्याण योजनाएं	क - i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) क - ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक ऋण आधारित अनुदान योजना (C.L.S.S.)
	ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान
एजेण्डा संख्या - 7 : अवस्थापना विकास योजनाएं	क) एम.एस.एम.ई. ऋण
	ख) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना
	ग) हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना
	घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)
	ङ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
	च) स्टैण्ड अप इण्डिया
	छ) ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण
एजेण्डा संख्या - 8 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
63वीं बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2017 की कार्य सूची

एजेण्डा संख्या - 1 : 62वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **62वीं** बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2017 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित **उप-समितियों** की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 07 नवम्बर, 2017**
2. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 08 नवम्बर, 2017**
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 28 नवम्बर, 2017**
4. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति **बैठक दिनांक 28 नवम्बर, 2017**

एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची

क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :
(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)

ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2017 में एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित वेब एप्लीकेशन के सिक्योरिटी ऑडिट का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस विषयक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बैंकों को वेब एप्लीकेशन संबंधित जानकारियाँ प्रदान की गयी ताकि बैंकों द्वारा वेब एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार सुगमतापूर्वक अंकित किया जा सके। एन.आई.सी. द्वारा सभी बैंकों को संबंधित वेब एप्लीकेशन के उपयोगार्थ यूजर एडमिन के आईडी पासवर्ड बनाकर उपलब्ध करा दिया गया है। शासन से अनुरोध है कि संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंकों के उपयोगार्थ यथाशीघ्र जारी करने की कृपा करें।

ख) वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग : “SLBC - 39”

ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2017 में एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित वेब एप्लीकेशन के सिक्योरिटी ऑडिट का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस विषयक दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बैंकों को वेब एप्लीकेशन संबंधित जानकारियाँ प्रदान की गयी ताकि बैंकों द्वारा वेब एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए वसूली प्रमाण पत्रों के ऑन-लाइन फाईलिंग का कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सके। एन.आई.सी. द्वारा सभी बैंकों को संबंधित वेब एप्लीकेशन के उपयोगार्थ यूजर एडमिन के आईडी पासवर्ड बनाकर उपलब्ध करा दिया गया है। शासन से अनुरोध है कि संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंकों के उपयोगार्थ यथाशीघ्र जारी करने की कृपा करें।

30 सितम्बर, 2017 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत् है : **(₹ करोड़ में)**

लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति		
	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	9273	130.86
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	2112	25.54
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	3899	50.51
पाँच वर्ष से अधिक	25696	208.00
कुल लम्बित आर.सी.	**40980**	**414.91**
01.04.2017 से 30.09.2017 तक वसूली की स्थिति	**3899**	**16.32**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सितम्बर त्रैमास की समाप्ति तक **40,980** वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष कुल **₹ 414.91 करोड़** की राशि लम्बित थी, जिसके विरुद्ध **3899** खातों में **₹ 16.32 करोड़** की वसूली की गयी है, जो कि कुल लम्बित राशि का मात्र **3.93 %** है।

पिछली बैठक में निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक जिले में अधिकतम राशि वाली लम्बित 50 वसूली प्रमाण पत्रों की निगरानी जिलाधिकारी महोदय के स्तर से की जानी है। राजस्व विभाग से अनुरोध है कि इस विषयक हुई प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

ग) आरसेटी :

राज्य में वर्तमान में 13 आरसेटी संस्थान कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत **248** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत **6610** अभ्यार्थियों को वांछित क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। आरसेटी प्रशिक्षण संस्थानों से प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के सितम्बर, 2017 माह की समाप्ति तक **143** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत **3343** अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उत्तराखंड राज्य में आरसेटी संस्थानों द्वारा कार्य आरम्भ करने **(01.04.2011)** से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत
01.04.2017 से 30.09.2017 तक	**143**	**3343**	**1665**	**50%**
01.04.2011 से 30.09.2017 तक	**1443**	**39118**	**26698**	**64%**

सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के पूर्व में बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार लम्बित है : **(₹ लाखों में)**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	लम्बित राशि
1	2011-12	55	6.72
2	2012-13	26	3.65
3	2013-14	336	3.53
4	2014-15	30	0.62
5	2015-16	83	2.30
6	2016-17	604	9.54
7	2017-18	293	6.44
	कुल योग	**1427**	**23.47**

शासन से अनुरोध है कि लम्बित राशि का आरसेटी संस्थानों को शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुचारु रूप से संभव हो सके।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की पिछली बैठक में देहरादून, टिहरी, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिलों के आरसेटी संस्थान को आवंटित भूमि के संदर्भ में विभिन्न समस्याओं से सदन को अवगत कराया गया था। इस संदर्भ में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके लिए हम शासन का आभार व्यक्त करते हैं।

एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण

क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 : "SLBC - 03"

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य **₹ 18468.80 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा सितम्बर, 2017 तक **₹ 7510.84 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में दर्ज की गयी है जो कि द्वितीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 40% के सापेक्ष 41% है।

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	6524.51	2254.37	35%
सावधि ऋण	3225.14	928.78	29%
फार्म सेक्टर (कुल)	**9749.65**	**3183.15**	**33%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4937.81	2682.30	54%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3781.34	1645.40	44%
कुल योग	**18468.80**	**7510.84**	**41%**

निम्न प्रमुख बैकों द्वारा सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष वांछित मानक **40 प्रतिशत** से कम की प्राप्ति की गयी है।

(₹ **करोड़ों में**)

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत प्राप्ति
सहकारी बैंक	276	2636.54	898.65	34%
इलाहाबाद बैंक	42	404.37	123.81	31%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	44	309.43	93.43	30%
केनरा बैंक	84	736.12	196.83	27%
बैंक ऑफ बड़ौदा	122	1599.86	351.76	22%
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	286	1228.71	229.00	19%
बैंक ऑफ इण्डिया	35	204.92	27.84	14%
यूको बैंक	57	286.62	38.65	13%
इण्डियन ओवरसीज बैंक	47	386.12	23.38	6%

समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें आबंटित वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को सेक्टर-वार प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

ख) <u>ऋण-जमा अनुपात</u> : **" SLBC – 01 "**

i) <u>बैंकवार</u> :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर राज्य का ऋण-जमा अनुपात **56%** है। परंतु निम्न प्रमुख बैकों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत से कम है, जिसमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है।**

बैंक	शाखाओं की संख्या	सितम्बर, 2017
सेन्ट्रल बैंक	41	29%
इण्डियन बैंक	12	26%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	05	33%

उपरोक्त बैंक नियंत्रक ऋण-जमा अनुपात को आगामी त्रैमास में बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

ii) <u>जिलावार</u> :

निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	जून, 2017	सितम्बर, 2017
बागेश्वर	51	22%	21%
अल्मोड़ा	146	20%	22%
चम्पावत	55	23%	23%
पौड़ी	195	22%	24%
रुद्रप्रयाग	55	25%	24%
चमोली	93	26%	26%
टिहरी	134	26%	26%
पिथौरागढ	104	32%	31%
देहरादून	555	32%	34%

उपरोक्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक विभिन्न विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से कार्ययोजना तैयार कर, पहाड़ी जिलों के लिए ऋण-जमा अनुपात हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानक **40 प्रतिशत** की प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी विस्तृत रुपरेखा से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के साथ-साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध कराएं।

एजेण्डा संख्या - 4 : <u>वित्तीय समावेशन</u>

क) <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

कनेक्टिविटी रहित **792** एस.एस.ए. में से **751** के लिए वी.-सैट के आर्डर बैंकों द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं, जिनमें से अभी तक **413** एस.एस.ए. में बैंकों द्वारा वी.-सैट स्थापित किए जा चुके हैं। **(संलग्न Annexure – 1)**

नैनीताल बैंक द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को सूचित किया गया कि 56 एस.एस.ए. में से 46 एस.एस.ए. में कनेक्टिविटी अन्य माध्यमों से उपलब्ध करायी गयी है तथा शेष 10 एस.एस.ए. के आर्डर प्रेषित किए जा चुके हैं, जिनकी 30 नवम्बर, 2017 तक इन्स्टॉल करने हेतु आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा नैनीताल बैंक को अवगत कराया कि

उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि डी.एल.आर.सी. की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अनुमोदित होने के पश्चात ही आगामी एस.एल.सी.सी., उत्तराखंड की बैठक के एजेण्डे में सम्मिलित कर संशोधित किया जाएगा।

इस संबंध में नाबार्ड के परिपत्र संख्या 244/डीएफआईबीटी-45/2017 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा सभी बैंकों को अवगत कराया गया है कि वी.-सैट लगाए जाने के कार्य को दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक अनिवार्यत: पूरा किया जाए और उससे संबंधित क्लेम राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अपना प्रस्ताव भी उक्त तिथि के अंदर नाबार्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा इस योजना के अंतर्गत समयावधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

ख) <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

		जून, 2017	**सितम्बर, 2017**
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों से आच्छादित परिवारों की संख्या	20,56,975	20,56,975
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या	21,77,246	22,19,970
ग)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों में आधार सीडिंग की संख्या	14,43,559 **(66.30%)**	15,56,551 **(70.11%)**
घ)	बैंक के समस्त बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या **1. कुल बचत खातों की संख्या - 1,19,97,228** **2. उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या - 1,00,86,290** **3. आयु वर्ग 0 से 9 वर्ष की जनसंख्या - 19,83,665** **4. आधार संख्या से लिंक किए जाने योग्य जनसंख्या (2-3) - 81,02,625** **(1,00,86,290 का %)**	73,90,832 **(61.60%)** **(73.28%)** **(91.22%)**	81,01,622 **(67.57%)** **(80.60%)** **(99.98%)**
ङ)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	18,29,597	18,56,564
च)	अवितरित (**Undelivered**) रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	85,314	77,191

सभी बैंक अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड उनके खाताधारकों को ठोस कार्ययोजना बनाकर वितरित करें एवं अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड के पिन नंबर, जो कि अब खाताधारकों द्वारा डिजीटल माध्यम से स्वयं सृजित किए जा रहे हैं, के संबंध में अपने ग्राहकों को जागरुक करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं।

ग) <u>बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग</u> :

भारत सरकार द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (पीएमएल नियम 2005) में संशोधन कर दिनांक 01 जून, 2017 से सभी बैंक खातों के लिए आधार के साथ सत्यापित किया जाना आवश्यक कर दिया गया था, ऐसा न करने पर खाते निष्क्रिय हो जाएंगे।

समस्त बैंक नियंत्रक भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए, जिसके अनुसार कुल बैंक शाखाओं के 10% शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की स्थापना एवं संचालन किया जाना है एवं जिसके लिए उत्तराखंड राज्य में 230 बैंक शाखाओं का पूर्व में ही चयन कर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है, में आधार पंजीकरण केंद्रों की स्थापना एवं उनके संचालन के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कर इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही अवगत कराना है कि सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र संख्या 20/2/2010-FI(Vol. II)(C-58530) दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा डी.सी.सी. बैठक में इस कार्य बिंदु पर समीक्षा अवश्य की जाए।

घ) सामाजिक बीमा योजनाएं :

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना के तहत अब तक बैंकों द्वारा राज्य में दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

योजना का नाम	जून, 2017	सितम्बर, 2017
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	15,20,128	15,40,322
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	4,29,012	4,32,627
अटल पेंशन योजना	41,112	52,592

सभी बैंक नियंत्रक अधिक से अधिक संख्या में पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत करने हेतु विशेष प्रयास करना सुनिश्चित करें।

ङ) वित्तीय साक्षरता :

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप सभी वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी नियंत्रणाधीन प्रत्येक ग्रामीण शाखा अपने कार्यक्षेत्र / सेवाक्षेत्र के ग्रामों में प्रत्येक माह कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में बैंक शाखाएं विभिन्न जिलों में कार्यरत एफ.एल.सी. केंद्रों का सहयोग भी ले सकती हैं।

बैंकों तथा स्वयं सहायता समूहों के बीच आपसी संवाद बढ़ाने, जिससे उनके बीच पारस्परिक आवश्यकताओं की समझ बढ़े, बैंकों द्वारा समूहों को ऋण देने एवं वसूली में अपेक्षित सुधार लाने के उद्देश्य से नाबार्ड से प्राप्त निर्देशों के अनुरुप राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों हेतु ग्राम स्तरीय कार्यक्रम (**VLP**) आयोजित करने के लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषित किए गए हैं। इस योजनांतर्गत प्रति कार्यक्रम ₹ 2000/- की सहायता राशि नाबार्ड द्वारा बैंकों को प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सभी बैंक नियंत्रकों से अनुरोध है कि वे योजनांतर्गत उन्हें आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक आयोजित वित्तीय साक्षरता कैम्प की संख्या :

	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
जुलाई-सितम्बर, 2017	1009	860	1869
01.04.2017 से 30.09.2017 तक	2148	1675	3823

एजेण्डा संख्या - 5 : ग्राम्य विकास योजनाएं

क) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या FIDD.CO.LBS.BC.No.16/02.01.001/2016-17 दिनांकित 29 सितम्बर, 2016 के निर्देशानुसार अग्रणी जिला प्रबंधक एवं जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड Potential Link Plan (PLP) तथा वार्षिक ऋण योजना (ACP) को आपसी समन्वय से कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करें, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों यथा डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि को सम्मिलित / प्रोत्साहित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।

इसी अनुक्रम में अवगत कराना है कि कृषि विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है तथा इस विषयक 8 मुख्य रणनीतियाँ बनायी गयी हैं। इनमें से

रणनीति संख्या - 2 के अनुरुप बैंकों से पशुधन यथा अधिक दूध देने वाली गायों, भैंसों, बकरियों तथा ऊन देने वाली भेड़ों की नस्लों एवं कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कृषि संबद्ध क्रियाकलापों हेतु अधिकाधिक वित्तपोषण करने की अपेक्षा की गयी है, जिससे कि भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

ख) <u>फसल बीमा योजना</u> :

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में मौसम खरीफ - 2017 का आच्छादन हो चुका है जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ - 2017 में 1.02 लाख कृषकों का बीमा आच्छादन हुआ है तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ - 2017 के अंतर्गत लगभग 0.35 लाख कृषकों का बीमा आच्छादन हुआ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017 से संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है, जिसके अंतर्गत बीमा हेतु गेंहूँ एवं मसूर की फसल संसूचित की गयी है। इसके अंतर्गत गेहूँ एवं मसूर हेतु दिनांक 01.10.2017 से 31.12.2017 तक सहकारी समितियों, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों से स्वीकृत अथवा वितरित ऋण खातों को अनिवार्यत: बीमित किया जाना है। घोषणा पत्र, प्रीमियम डी.डी. / RTGS / NEFT एवं अन्य आवश्यक परिपत्र क्रियान्वयक अभिकरण को प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.01.2018 है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संबंधित अधिसूचना सभी बैंक नियंत्रकों को उपलब्ध करा दी गयी है तथा सभी बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता है कि वे योजनांतर्गत सभी पात्र ऋण कृषकों को अनिवार्यत: बीमित करना सुनिश्चित करें। साथ ही बीमित कृषकों की सूचना भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **(www.agri-insurance.gov.in)** पर **upload** करना सुनिश्चित करें।
शासन स्तर से मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2017 से संबंधित अधिसूचना जारी किया जाना प्रतीक्षित है।

ग) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> : “ SLBC - 18 ”

वित्तीय वर्ष **2017-18** के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर **“राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन”** योजनांतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुरुप निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :

(रु. लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
3168	**1117**	**428**	**390**	**218.51**	**188**	**501**

संबंधित विभाग से अनुरोध है कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष यथाशीघ्र बैंक शाखाओं को पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करें। साथ ही सभी बैंक नियंत्रक अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं में योजनांतर्गत 30 सितम्बर, 2017 को लम्बित तथा नये प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

घ) <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> : “ SLBC – 46 ”

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18 के द्वितीय त्रैमास** की समाप्ति तक बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुरूप निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है : **(₹ लाखों में)**

बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / लम्बित आवेदन पत्र
1483	**1475**	**1152**	**1747.97**	**08**

समस्त बैंक योजनांतर्गत नाबार्ड को अनुदान दावा समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं लम्बित अनुदान दावों की संख्या तथा धनराशि के विवरण से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी अवगत कराएं।

एजेण्डा संख्या - 6 : समाज कल्याण योजनाएं

क - i) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) : “ SLBC - 16 एवं 17 ”

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18 के द्वितीय त्रैमास** की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
2058	**1167**	**471**	**457**	**420.17**	**180**	**516**

क - ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme) :

सब को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **“प्रधानमंत्री आवास योजना घटक ऋण आधारित अनुदान योजना”** लागू की गयी है, जिसके क्रियान्वयन हेतु नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको नोडल एजेन्सी हैं। योजना के प्रारुप के अनुसार **₹ 6,00,001/- से ₹ 18,00,000/-** तक की वार्षिक आय वाले परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी मकान नहीं है, वे ऋण की पात्रता रखते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के तहत बैंकों में ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। बैंकों द्वारा लाभार्थियों को देय ब्याज सब्सिडी का भुगतान हुडको या नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से किया जाना है। द्वितीय त्रैमास की समाप्ति तक वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार प्रगति दर्ज की गयी है।

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	248	1627.50	455.76
हुडको	49	176.15	45.96
योग	**297**	**1803.65**	**501.72**

संबंधित विभाग से अनुरोध है कि इस विषयक अद्यतन विस्तृत प्रगति से सदन को अवगत कराएं।

ख) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान : “ SLBC – 15 ”

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

i) अनुसूचित जाति :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
1459	**808**	**578**	**537**	**199.11**	**34**	**196**

ii) अनुसूचित जनजाति :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	आवेदन स्वीकृत	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
100	**79**	**60**	**56**	**12.10**	**02**	**17**

iii) **अल्पसंख्यक समुदाय :**

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
225	73	21	20	36.10	-	52

एजेण्डा संख्या - 7 : अवस्थापना विकास योजनाएं :

क) एम.एस.एम.ई. ऋण : “ SLBC – 27 ”

सभी बैंकों द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2017 तक **3,03,145** इकाईयों के सापेक्ष **₹ 15,509** करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1743	2932	2615	4399	2231	1589	6589	8920	15509

एम.एस.एम.ई. सेक्टर में जून, 2017 त्रैमास की तुलना में इस त्रैमास में **₹ 250 करोड़** की प्रगति दर्ज की गयी है। समस्त बैंक नियंत्रक एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें।

ख) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना : “ SLBC – 28 ”

वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैकों द्वारा **“प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”** के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	12150	36.25
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	15199	348.18
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	3343	251.76
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1896.22**	**30692**	**636.19**

योजनांतर्गत जुलाई-सितम्बर, 2017 त्रैमास में 15,360 इकाइयों को ₹ 370.20 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। समस्त बैंक नियंत्रक योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

ग) **<u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u>** : **" SLBC -14 "**

वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास की समाप्ति पर बैकों द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
1750	**35**	**33**	**32**	**54.35**	**-**	**02**

इस योजना में लक्ष्य के सापेक्ष में बहुत कम संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। अत: संबंधित विभाग से अनुरोध है कि योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

घ) **<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u>** : **" SLBC – 7 "**

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के सितम्बर त्रैमास की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
DIC – 390	1832	517	150	**812.40**	464	851
KVIC – 292	463	148	42	**456.14**	129	186
KVIB – 293	743	286	110	**695.59**	197	260
योग - 975	**3038**	**951**	**302**	**1964.13**	**790**	**1297**

माह सितम्बर, 2017 की समाप्ति तक **975** वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष बैंकों द्वारा **951** ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिए गए हैं। लम्बित **1297** आवेदन पत्रों के संदर्भ में सदन को अवगत कराना है कि इनमें से अधिकांश आवेदन पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के उपरांत बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए हैं, जिनकी प्रगति दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर परिलक्षित होगी। 20 नवम्बर, 2017 तक बैंकों द्वारा कुल प्रेषित **3785** आवेदन पत्रों के सापेक्ष **1250** ऋण आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **506** आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किए गए हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, देहरादून द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु संशोधित जिलेवार लक्ष्य प्रेषित किए गए, जिसके अंतर्गत 975 इकाइयों के विरुद्ध ₹ 19.33 करोड़ के लक्ष्य को संशोधित कर अब 2438 इकाइयों के विरुद्ध ₹ 48.35 करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जो कि दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है।

ङ) <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : "SLBC – 9"

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय तिमाही की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/ वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वाहन - 200	107	61	33	389.06	03	43
गैर-वाहन - 200	91	27	16	133.48	40	24
कुल योग - 400	**198**	**88**	**49**	**522.54**	**43**	**67**

सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक योजनांतर्गत बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों में से 67 ऋण आवेदन पत्र निस्तारण हेतु लम्बित है। संबंधित बैंक नियंत्रक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

च) <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> : "SLBC - 44"

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा **(जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त)** को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष **2017-18 के द्वितीय त्रैमास** की समाप्ति पर बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ग	30 सितम्बर, 2017 तक की प्रगति का विवरण				
		वित्तीय वर्ष 2017-18			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति	
		आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	स्वीकृत राशि	कुल ऋण वितरित आवेदन	कुल वितरित ऋण राशि
1.	महिला	211	201	52.17	672	152.22
2.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	65	52	6.15	116	20.81
	कुल	**276**	**253**	**58.32**	**788**	**173.03**

अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की दिनांक 28.11.2017 को आयोजित बैठक में बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में धीमी प्रगति का मुख्य कारण पात्र महिला / अनुसूचित जाति या जनजाति के उद्यमियों, विशेष रुप से पर्वतीय जिलों में, नहीं मिल पाना है।

छ) <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण</u> :

सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं से संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्तियों के ऋण आवेदन पत्र चयनित कर बैंक शाखाओं को प्रेषित करना एवं इसकी शाखावार सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी प्रेषित

करना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। साथ ही सभी बैंक नियंत्रक सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के तहत उनकी शाखाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय रहते वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

एजेण्डा संख्या - 8 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा।

****